न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 58 / 2020

1. विक्रम पुत्र सादुला राम उम्र 33 वर्ष
2. शान्ति देवी पत्नी सादुलाराम उम्र 53 वर्ष

} अकवाम जाट साकिन वी.पी.ओ. मिर्जेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर

3. लोकेश कुमार पुत्र संजय कुमार जाति जाट उम्र 07 वर्ष नाबालिग निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर निकटवर्ती मित्र माता व वली श्रीमती सरिता देवी पत्नी संजय कुमार जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी वी.पी.ओ. मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. आरजु पुत्री संजय कुमार जाति जाट उम्र 12 वर्ष नाबालिग निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर निकटवर्ती मित्र माता व वली श्रीमती सरिता देवी पत्नी संजय कुमार जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी वी.पी.ओ. मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. सरिता देवी पत्नी संजय कुमार जाति जाट उम्र 34 वर्ष निवासी वी.पी.ओ. मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थीगण**

–:: बनाम ::–

1. एकता पुत्री भोला राम पत्नी अनिल
2. रामी देवी पत्नी भोला राम
3. राहुल पुत्र भोला राम
4. विश्व मोहन पुत्र सन्तोष कुमार
5. सुमन देवी उर्फ सुमनबाला पत्नी सन्तोष कुमार

} जातियान जाट निवासीयान मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक :– 15.01.2021

–:: आदेश ::–

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण चक 10 एफ बड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 107/79 के मुरब्बा नं. 52 के किला नं. 6/1 की 0.228 हैक्टयर, किला नं. 6/2 की 0.025 हैक्टयर, किला नं. 7 की 0.253 हैक्टयर, किला नं. 11 ता 14 प्रत्येक मे 0.253 हैक्टयर, किला नं. 15/1 की 0.025 हैक्टयर खाला, किला नं. 15/2 की 0.228 हैक्टयर, किला नं. 16/1 की 0.228 हैक्टयर, किला नं. 16/2 की 0.0250 हैक्टयर, किला नं. 17 ता 24 प्रत्येक मे 0.253 हैक्टयर, किला नं. 25/1 की 0.228 हैक्टयर, किला नं. 25/2 की 0.0250 हैक्टयर कुल किता 21 क्षेत्रफल 4.3010 जिसमे खाला 0.1000 है0 व नहरी 4.2010 हैक्टयर दर्ज है और जमाबन्दी मे प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा दर्शाया हुआ है। वादीगण द्वारा भूमि का विभाजन का तकाजा करने पर प्रतिवादीगण नाराज हो गये है और अब वे इस भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरित करने की कोशिश मे है। इस भूमि मरला नं 52 के किला नं. 1, 10, 11, 20,

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

21 सड़क पर लगने से प्रतिवादीगण इस भूमि को जो काफी कीमती है को अन्य विक्रय करने की कोशिश मे लग गये है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को ना पूरा होने वाला नकसान होगा। आईन्दा मुकदमे बाजी बढ़ेगी। ऐसी सूरत मे वादीगण प्रतिवादीगण के अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य का पाने का अधिकारी है कि वे वादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग को अन्यत्र किसी प्रकार से दौराने दावा हस्तान्तरित करने से निषेध रहे। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे साबित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके चक 10 एफ बड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 107/79 की 4.3010 हैक्टयर भूमि मय खाला अनावेदगण उक्त भूमि के किसी भू–भाग रहन विक्रय, भार सृजित करने से निषेध रहे, कब्जा भूमि देने से निषेध रहे। रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तामील विधिवत होने के पश्चात् अप्रार्थीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्राथीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टा केस, सुविधा का संतुलन, अपरिमेय क्षति पर विचार किया गया। प्रशनगत आराजी संयुक्त खाता की भूमि है। जिसके प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक व्यक्ति का कब्जा होने की अवधाराणा की जाती है। अपने हक हिस्से की हद तक भूमि का अंतरण करना काश्तकार का खातेदारी अधिकार है। जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। मौके की स्थिति में परिवर्तन से वाद बहुलता में वृद्धि संभव है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद संख्या 61/2020 अनवान विकम बनाम एकता के निर्णय तक इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि चक 10 एफ बड़ा की जमाबंदी समवत् 2073–2076 के खाता संख्या 107/79 की 4.3010 हैक. भूमि मय खाला में अप्रार्थीगण स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से मदाखलत करने, जबरन बेदखल करने, किसी को रहन बैय मुंतकिल करने से बाज व ममनु रहें।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 61/2020 बअनवान विकम बनाम एकता रहे।

आदेश आज दिंनाक 15.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्,
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner